राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 310/2021

शान्ति देवी पत्नी तेजाराम उम्र .....वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीया

ब–ना–म

1. मोहनलाल पुत्र छोटूराम
2. भानाराम पुत्र छोटूराम
3. बहादुरमल पुत्र छोटूराम
4. धन्शीराम पुत्र छोटूराम
   समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई जरिये शाखा प्रबंधक।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: **दिनांक 28–10–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 126 में दर्ज खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है., ख.नं. 543 रकबा 0.80 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है. की भूमि में प्रार्थीया हिस्सा सम्पूर्ण की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम कोल्याली स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076–79 के खाता संख्या नया 106 में दर्ज खसरा नंबर 1970/532 रकबा 0.36 है. की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 हिस्सा सम्पूर्ण की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम कोल्याली स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076–79 के खाता संख्या नया 84 में दर्ज खसरा नंबर 1971/532 रकबा 0.36 है. की भूमि में अप्रार्थी सं. 2 हिस्सा सम्पूर्ण की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम कोल्याली स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076–79 के खाता संख्या नया 73 में दर्ज खसरा नंबर 1972/532 रकबा 0.36 है. भूमि में अप्रार्थी सं. 3 हिस्सा सम्पूर्ण की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम कोल्याली स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076–79 के खाता संख्या नया 38 में दर्ज खसरा नंबर 1973/532 रकबा 0.36 है. भूमि में अप्रार्थी सं. 4 हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया ने अपने खेत ग्राम कोल्याली स्थित खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है. की भूमि आने जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

लिए बबाई से रसूलपुर मुख्य सड़क से दक्षिण दिशा की तरफ फटकर अप्रार्थी सं. 1 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1970/532 रकवा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे तथा फिर अप्रार्थी सं. 2 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1971/532 रकबा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे व फिर अप्रार्थी सं. 3 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1972/532 रकबा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे व फिर आगे अप्रार्थी सं. 4 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1973/532 रकवा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे कुल 12 फीट चौड़ा कदीमी रास्ता प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है. भूमि के उत्तरी सीमा तक आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में से चालू है जिसे नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दर्शाया गया है। इसी कदीमी रास्ते से प्रार्थीया स्वयं तथा उनके पारिवारिक लोग व अन्य आम व्यक्तियों का काफी वर्षों से लगातार शांतिपूर्वक आवागमन रहा है। उक्त रास्ते के उपयोग–उपभोग में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं रही है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीया अपने खेत में आती जाती है और इधर से ही प्रार्थीया अपने खेत में साधन लाती है व ले जाती है। प्रार्थीया अपनी भूमि के समस्त कृषि कार्य इसी रास्ते से करती है। इसके अलावा प्रार्थीया के पास अपने खेत खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है. में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है. तक आवागमन के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 की उक्त भूमि में से 12 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए भी निवेदन किया तथा रास्ते की भूमि के मूल्य स्वरूप रूपयों का भुगतान करना चाहा तो भी अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 ने रास्ता देने से साफ इंकार कर दिया। इस कारण प्रार्थीया को कानून के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाने के लिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीया उक्त आवेदन पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की पालना करने को तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपने खेत ग्राम कोल्याली स्थित खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है. की भूमि में आने–जाने के लिए बबाई से रसूलपुर मुख्य सड़क से दक्षिण दिशा की तरफ फटकर अप्रार्थी सं. 1 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1970/532 रकबा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे तथा फिर अप्रार्थी सं. 2 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1971/532 रकबा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे व फिर अप्रार्थी सं. 3 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1972/532 रकबा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे व फिर आगे अप्रार्थी सं. 4 की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 1973/532 रकवा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थीया के अपने खेत खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है. भूमि के उत्तरी सीमा तक आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में से 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर उस रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने जवाब [illegible] प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा चाहे गये अनुतोष का अस्वीकार किया [illegible] सं. 1 लगा. 4 की खातेदारी में से जो प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है उसकी प्रार्थीया को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 की खातेदारी भूमि से जो प्रस्तावित रास्ता मांगा है उस प्रस्तावित रास्ते से सटकर 15–16 फीट चौड़ी ग्रेवल सड़क बनी हुई है। उसी से प्रार्थीया आती–जाती है, गाड़ियां भी आती–जाती है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

में वर्णित भूमि 10–12 वर्ष पूर्व ही खरीदी है तथा खरीद कर इसमें मकान बनाये हैं। मकानों के लिए पत्थर, ईंट, बजरी, सीमेन्ट आदि समस्त निर्माण सामग्री ग्रेवल सड़क से ही गई हैं। जब ग्रेवल सड़क प्रस्तावित रास्ते से सटकर विद्यमान है तो प्रस्तावित रास्ते की अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत में से कोई आवश्यकता प्रार्थीया को नहीं है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी उक्त ग्रेवल सड़क का उल्लेख नहीं किया है तथा पटवारी हल्का ने प्रार्थीया से मिलकर गलत रिपोर्ट बनाकर पेश की है। प्रार्थीया द्वारा नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से जो तथाकथित रास्ता दर्ज किया गया है, ऐसा रास्ता कभी भी नहीं रहा है ना मौके पर अब विद्यमान है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र का झूठा आधार बनाने के लिए मिथ्या कथन दर्ज किये हैं। प्रार्थीया ने केवल मात्र अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 को हैरान परेशान करने तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 की भूमि को बर्बाद करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 7 तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/979 दिनांक 14.12.2021 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. आवेदिका श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री तेजाराम जाति गुर्जर निवासी कोल्यावाली अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 533 रकबा 0.70 है. में पुख्ता मकान व ट्यूब वैल बनाकर काश्त व परिवार सहित रहवास कर रही है। इसलिए रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है न कि केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए।
2. वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 4 की कृषि भूमि ख.नं. 1970/532 रकबा 0.36 है. अप्रार्थी सं. 1, ख.नं. 1971/532 रकबा 0.36 है. अप्रार्थी सं. 2, ख.नं. 1972/532 रकबा 0.36 है. अप्रार्थी सं.3, ख.नं. 1973/532 रकबा 0.36 है. अप्रार्थी सं. 4 की खातेदारी भूमि में पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 12 फीट अर्थात् लगभग 4 मीटर चौड़ाई का प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है। वादी वर्तमान में वैकल्पिक तौर पर सीमावर्ती राजस्व ग्राम कालोटा की भूमि ख.नं. 641 रकबा 2.22 है. किस्म गै.मु. नाला से आना जाना करते हैं। परन्तु वर्षात के मौसम में उक्त नाले के पास में काफी बड़े पहाड़ी क्षेत्र होने से पानी के बहाव से आवागमन अवरूद्ध हो जाता है।
3. आवेदक द्वारा चाहे रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में बिन्दु सं. ए से प्रार्थी की भूमि ख.नं. 533 बिन्दु बी तक लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है। इससे नजदीक दूरी का अन्य किसी रास्ता का विकल्प नहीं है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख.नं. 1970/532 मं से रकबा 16X4= 64 वर्गमीटर, ख.नं. 1971/532 में से रकबा 49X4= 196 वर्गमीटर, ख.नं. 1972/532 में से रकबा 48X4=192 वर्गमीटर, ख.नं. 1973/532 में से रकबा 47X4=188 वर्गमीटर है कुल रकबा 640 वर्गमीटर जिसकी डी.एल.सी. दर 53560/–रू. है जिसकी दुगुनी राशि रू. 107120/– बनते हैं।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त पत्र के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई की मौका रिपोर्ट मय आंशिक नक्शा ट्रेस संलग्न [illegible] पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण ने भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि न्यायहित में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे अथवा श्रीमान् जी स्वयं मौका मुआयना कर लेवें जिससे प्रकरण में न्याय हो सके। ग्रेवल सड़क की फोटो संलग्न पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। तथा तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.12.2021 का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रकरण में विचारणीय बिन्दुओं पर आधारित होने से अप्रार्थीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जिनका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने भूमि खसरा नंबर 1970/532 रकबा 0.36 है., खसरा नंबर 1971/532 रकबा 0.36 है., खसरा नंबर 1972/532 रकबा 0.36 है., खसरा नंबर 1973/532 रकबा 0.36 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे अपने खेत खसरा नंबर 533 रकबा 0.70 है. में आवागमन के लिए रास्ता चाहा गया है। जबकि उक्त खसरा नंबरान के समानान्तर ही मौके पर ग्रेवल युक्त आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है जिस पर सुचारू रूप से आवागमन हो रहा है। उक्त ग्रेवल युक्त रास्ते से सटकर ही प्रार्थीया ने रास्ता चाहा है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 533 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:21 IST
Reason: SelfAttested